

(प्रपत्र-2)

जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर का कार्यालय।

संख्यांक:-03

तारीख:-01.2.2019

विषय: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा दिनांक 07.05.2018 को समर्पित आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ तत्पश्चात् हुये पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर, मैं नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल, गंगाडीहबेड़ा, पोटका, जमशेदपुर को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से कक्षा 1 से 8 तक के लिए मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

1. इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबंधों का पूर्णरूपेण पालन करेगा।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और इन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध

Principal  
Netaji Subhas Public School  
Affiliated to CBSE, Delhi  
Haldipokhar, Haldipokhar

Manager  
Netaji Subhas Public S  
Jamshedpur, E. Singhbhum-831002

4. उक्त कक्षा-3 में उल्लेखित बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबंधों के तहत प्रतिवर्ष राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित



vii. पेयजल सुविधा

viii. मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई (सरकारी विद्यालय)

ix. बांधारहित पहुंच

x. अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूल उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।

12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

13. स्कूल की किसी व्यक्ति/व्यक्तियों की समृद्ध या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाएगा।

14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चाट्टर अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।

15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जाह्नकारी प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का प्रालन करेगा जो मान्यता समधी राज्यों के संतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियां को दूर करने के लिए जारी किए जायें।

16. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1986 (1986 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाइटी द्वारा या तत्समया प्रवर्तक/विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।

आपके विद्यालय का आवंटित मान्यता कोड संख्याक ..... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस

कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख किया जाये।

Principal  
Netaji Subhas Public School  
Sangadli Bera, Haldipokhar  
Jhansi, E. Singhbhum-831002

01/2/19  
जिला शिक्षा अधीक्षक।  
जिला शिक्षा अधीक्षक  
श्री सिंहभूम, जमशेदपुर

Netaji Subhas Public School  
Sangadli Bera, Haldipokhar  
Jhansi, E. Singhbhum-831002



5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कॅम्पिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में तैयार किए हुए किसी बालक या उसकी माता-पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण, प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसे स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा:
  - i. प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा;
  - ii. किसी भी बालक को शारीरिक देह या मानसिक देह नहीं दिया जाएगा;
  - iii. प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी;
  - iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा;
  - v. अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निश्चकता, गस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा;
  - vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहतरों के अनुरूप किया जायेगा तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम अहतरों, अधिनियम, 2009 के लागू होने के समय नहीं हैं, पाच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अहतरों अर्जित कर लेंगे।
  - vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और
  - viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा।
10. विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं :-

- i. विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
- ii. कुल निर्मित क्षेत्र
- iii. कक्षा-स्थल का क्षेत्रफल

Manager

Netaji Subhas Public School

Radhika Bera, Haldipokhar

Principal  
Netaji Subhas Public School  
Haldipokhar